राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 99/2016 एवं 100/2016 .....जिला : भरतपुर.....

उनवान – मै0 लाईटन इण्डिया कान्टेक्टर प्रा0लि0, भरतपुर बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल–सदस्य** **श्री राजीव चौधरी–सदस्य** उक्त दोनों विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 619/2016/भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 एवं विविध प्रार्थना पत्र 83/2016/भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में रू0 10,91,24,188/– की राशि पर पूर्व में तीन माह के लिये स्थगन दिया गया था। व्यवहारी की ओर श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण के निस्तारण की पुनः समयावधि बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया गया। वरन् व्यवहारी के अभिभाषक ने स्थगन आदेश की अवधि में वृद्धि किये जाने के लिये कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदिनांक तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह दोनों प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 619/2016 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.03.2016 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में निवेदन किया गया है कि खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 21.03.2016 एवं 30.06.2016 की पालना में प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण निर्धारित अवधि में नहीं होने तथा इसमें हो रहे विलम्ब के मद्देनजर प्रकरणों में दिये गये स्थगन की अवधि ओर बढ़ाई जावे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरणों में पूर्व में दी गई समयावधि को बढाये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्रों पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किये जाकर, माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 619/2016 एवं विविध प्रार्थना पत्र 83/2016/भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 तथा 30.06.2016 की क्रियान्विति को प्रत्येक प्रकरण में तीन माह तक बढाया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते है। 19/10/16 (राजीव चौधरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	